

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2008] No. 2008] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2687(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोन-के-II की क्षेत्रीय विकास योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.2.2014 की का.आ. 554(अ), के तहत सार्वजिनक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई 'आपत्ति / सुझाव' नहीं प्राप्त हुए हैं; और
- 3. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा **11-**क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 / जोन-के- II की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन

जोन के-II (द्वारका) के क्षेत्र में आर रहे निम्नलिखित भू-क्षेत्र का भूमि उपयोग विवरण अनुसार परिवर्ति कर दिया गया है जो निम्नानुसार हैः

豖.	अवस्थिति	क्षेत्र (एकड़	दि.मु.यो-2021 के	भूमि उपयोग निम्नलिकित	सीमाएं
सं.		में)	अनुसार भूमि उपयोग	में परिवर्तित किया जाना है	
1.	सैक्टर-2, द्वारका में स्थल	8670.88 वर्ग मीटर	"आवासीय"	"सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक"	उत्तर: 60 मीटर सड़क दक्षिणः आवासीय (आवासीय क्षेत्र) सुविधा) पूर्वः आवासीय पश्चिम: आवासीय

3977 GI/2016 (1)

शर्तेः

- i. "आवासीय" से "सार्वजनिक और अर्द्ध तथा सार्वजनिक" के भूमिउपयोग में परिवर्तन के संबंध में किसी वित्तीय दायित्वों को भूमि विभाग/भूमि लागत, डीडीए द्वारा अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है।
- ii, विकास नियंत्रण मानक और लक्ष्य लागू दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार है।

[फा. सं. के-13011/22/2016-डीडी-]] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

- **S.O. 2687(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone K-II regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 554(E), dated 22.02.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas no 'objection/suggestion' received with regard to the proposed modification by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas, the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone K-II with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone K-II (Dwarka) is changed as per description listed below:

Location	Area	Land Use (MPD 2021)	Proposed change of land use	Boundaries
1	2	3	4	5
Site at Sector-2, Zone K-II (Dwarka)	8670.88 sqm	'Residential	'Public & Semi Public'	North: 60 m Road South: Residential (Housing Area Facility) East: Residential West: Residential

Condition:

- (i) Any financial implications w.r.t change in landuse from "Residential" to "Public & Semi & Public" needs to be seen by the Lands Deptt./Land Costing, DDA.
- (ii) The Development Control Norms and setbacks are as per prevailing Master Plan for Delhi-2021.

[F. No. K-13011/22/2016-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.